संख्याः1204/नौ–5–2022–30सा/2022

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, उ0प्र0 नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
7. राज्य मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
9. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ, दिनॉक 04 अप्रैल, 2022

विषयः लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में नगरीय निकायों से संबंधित कार्यवाही विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत आप अवगत हैं कि जन सामान्य के हितार्थ एवं लोक कल्याणार्थ शासकीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आम जन के हितार्थ लोक कल्याण संकल्प पत्र–2022 के माध्यम से वृहद एवं समग्र रूप से क्रियान्वित किये जाने वाली नीतियों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को लक्षित किया गया है। इस विषय में मुख्य सचिव महोदय के स्तर से कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः–31-1010(099)/1/2021, दिनांक 28.03.2022 में भी इस आशय के स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि: **"लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के सभी संकल्प बिन्दुओं को 05 वर्षों में लक्ष्यवार कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित कराया जाये।"**

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त वृहद लक्ष्यों की प्राप्ति के विषयगत नगर विकास विभाग के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों/अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में समयबद्ध रूप से तैयारी करते हुये कार्ययोजना निरूपित कर ली लाये। इस हेतु लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में वर्णित निम्नवत् बिन्दुओं और तदक्रम में दिये जा रहे निदेशों के अनुरूप समस्त संबंधित द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है :–

(I) **60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किया जानाः** यद्यपि उक्त विषयक राज्य स्तरीय नीति परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी, तथापि जिन नगरों में नगर बस सेवा संचालित हो रही है उक्त नगर बस सेवा में उपरोक्त विषयक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में यथा–शीघ्र संबंधित प्राधिकारी की बैठक आहूत कर कार्य किये जाने के विषयगत बिन्दु निर्धारण कर लिया

जाये और इसके दृष्टिगत होने वाले वित्तीय व्यय भार का भी अनुमानित आकलन कर लिया जाये।

निदेशक, अर्बन ट्रांसपोर्ट मुख्यालय स्तर पर और नगरीय परिवहन से सम्बंधित नगरों के मंडलायुक्त उपरोक्त हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएँगे।

(II) **रू.1000 करोड़ की लागत के साथ मिशन पिंक टायलेट शुरू करना, जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाना:** उक्त विषयगत कार्यवाही प्रदेश के समस्त नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में पंचायती राज व ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्देश निर्गत किये जायेंगे। प्रदेश की आबदी का लगभग 24% नगरीय क्षेत्र में होने के दृष्टिगत लगभग रूपये 240 करोड़ की लागत के पिंक टायलेट नगरीय क्षेत्रों में स्थापित होना अपेक्षित है।

राज्य स्तर पर उपरोक्त का अनुश्रवण मिशन निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर पर प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय द्वारा अपने जनपद की समस्त नगरीय निकायों में उपरोक्त विषयगत कार्य हेतु भूमि का चिन्हांकन करते हुए कार्य योजना निरूपित की जाए। कार्य योजना और उपयुक्त प्रस्ताव मिशन निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(III) **सभी सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किया जाना:** यद्यपि उपरोक्त कार्यक्रम के विषयगत विस्तृत नीति एवं निर्देश गृह विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा, तथापि स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में जो सी0सी0टी0वी0 स्थापित कराए जा रहे हैं, उक्त का नियोजन एवं संयोजन उपरोक्त कार्यक्रम की सहभागिता के रूप में किए जाने के विषय में समस्त 17 स्मार्ट सिटी (केंद्रीय योजना में चयनित 10 नगरों एव राज्य स्मार्ट सिटी योजना में चयनित 7 नगरों) से सम्बन्धित मंडलायुक्त द्वारा इस विषय में नियोजन करना अपेक्षित है।

(IV) **स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली लगभग 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एस०एच0जी0 क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रू.1.00 लाख तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाना:** नगरीय क्षेत्रों में डूडा अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एवं DAY-NULM के माध्यम से क्रियान्वित परियोजनाओं में नगरो के अंतर्गत उपरोक्त लक्ष्य के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्य किए जाने के विषयगत कार्य योजना निरूपित कराए जाने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक सूडा एवं निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जनपदों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त अधिशासी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डूडा एवं नगर आयुक्त बैंको एवं अन्य सम्बंधित संस्थाओं के साथ समन्वय कर उपरोक्त लक्ष्य हेतु कार्य करेंगे।

(V) **अगले 5 वर्षों में, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाना:** डूडा के माध्यम से संचालित रोजगारपरक योजनाओं व पीएम स्व–निधि के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर को बेहतर रूप से उपलब्ध कराए जाने का कार्य करते हुए उपरोक्त बृहद लक्ष्य की प्राप्ति में नगरीय निकायों द्वारा भी अपना योगदान दिया जायेगा।

राज्य स्तर पर निदेशक, सूडा एवं निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जनपदों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त अधिशासी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डूडा एवं नगर आयुक्त उपरोक्त लक्ष्य हेतु कार्य करेंगे।

(VI) **उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो कार्य करना:** नगरीय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से तथा नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने विषयक परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी रूप देते हुए उपरोक्त वृहद लक्ष्य में निकायों द्वारा अपना योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (नगरीय) एवं नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग से संबंधित समस्त मुख्यालय एवं अन्य फील्ड स्तरीय अधिकारीगण उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

(VII) **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को नम्बर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्धता:** इस विषयगत निकायों हेतु चिन्हित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अतः निदेशक, स्थानीय निकाय के नेतृत्व में समस्त नगरीय निकायों के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारीगण उपरोक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेश में निकायों हेतु चिन्हित बिन्दुओं के विषयगत निर्गत निर्देशों के अनुरूप भली–भांति कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(VIII) **प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना:** उक्त विषयगत जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूर्व से संचालित है। नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त लक्ष्य हेतु अमृत–2.0 के अंतर्गत कार्य योजना बनाते हुए नगरीय क्षेत्रों के समस्त घरों को आच्छादित किया जाएगा।

राज्य स्तर पर उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (नगरीय) एवं राज्य मिशन निदेशक अमृत 2.0 द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा समस्त नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी अपने नगर के विषय में उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु निकाय स्तर पर अपेक्षित नियोजन, क्रियान्वन एवं वितीय संसाधन को सुनिश्चित करेंगे।

(IX) **सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाना:** नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत हर बेघर को आवास उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य प्राप्ति की कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, सूडा के नेतृत्व में एवं जनपदों में जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी/परियोजना निदेशक डूडा द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

(X) **प्रदेश में मॉ अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित कर गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था:** इस विषय में शीघ्र ही शासन स्तर से विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किए जाएंगे। उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निकाय क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का चिन्हांकन आवश्यक है, अतएव जिलाधिकारी अपने जनपद की समस्त निकायों में उक्त कार्य हेतु उपयुक्त भूमि/स्थल का चिन्हांकन करना सुनिश्चित कर लें।

उपरोक्त हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, स्थानीय निकाय एवं जनपदों में जिलाधिकारी के द्वारा निकायों में योजना के क्रियान्वन का समन्वय किया जायेगा।

(XI) **सभी शहरों में टाउन वेण्डिंग कमेटी की स्थापना एवं नए वेण्डिंग जोन बनानाः** जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्रों में उक्त कार्य हेतु सभी निकायों में समुचित स्थल चिन्हांकन और वेंडर पंजीकरण किए जाने की कार्यवाही विषयक कार्ययोजना समयबद्ध रूप से तैयार की जाएगी। राज्य स्तर पर निदेशक, निदेशक सूडा एवं निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उक्त का समन्वय एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(XII) **सभी स्ट्रीट हाकर्स एवं ई–कामर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया जानाः** उक्त कार्य एवं लक्ष्य प्रप्ति हेतु जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी निकायों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अधीन उपरोक्त श्रेणी के लाभार्थी चिन्हित कर पंजीकरण करते हुए, आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तर पर निदेशक, सूडा एवं निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उक्त का समन्वय एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(XIII) **सभी शहरों में ई–रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग पॉइन्ट सुविधाओं के साथ ऑटो रिक्शा स्टैण्ड एवं पार्किंग स्थल बनानाः** समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षित है कि उक्त कार्य हेतु सभी निकायों में समुचित स्थल का चिन्हांकन एवं कार्य योजना तैयार कराने का कार्य समयबद्ध रूप से कर लिया जाये। राज्य स्तर पर उक्त का अनुश्रवण निदेशक नगरीय परिवहन द्वारा किया जायेगा।

(XIV) **महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जानाः** उपरोक्त हेतु समस्त सम्बंधित विभागों द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाएगा। उक्त भव्य आयोजन से संबंधित कार्ययोजना समयबद्ध रूप से तैयार कर शासन स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु मण्डलायुक्त प्रयागराज एवं मेलाधिकारी कुम्भ मेला प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(XV) **प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी सेवायें निश्चित अवधि में प्रदान करनाः** इस विषयगत निकायों हेतु चिन्हित बिंदुओं पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में उ०प्र० जनहित गारन्टी अधिनियम के अधीन अधिसूचित सात सेवा सम्बन्धी बिन्दु पर समस्त नगरीय निकाय के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारीगण निर्गत निर्देशों के अनुरूप भली–भांति सतत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। निकायों द्वारा निश्चित अवधि में सेवा प्रदान करने के विषयों में वृद्धि के विषयगत निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा परीक्षण करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरिवर्णित समस्त बिन्दुओं के विषयगत समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और कृत कार्यवाही की प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास उ0प्र0 शासन।
2. समस्त महाप्रबंधक, जलकल/जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई–मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव